राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 935 व 936/2017.....जिला.....जयपुर

उनवान – मैसर्स ग्लैक्सीमेल परेडेरा कम्यूनिकेशन प्रा.लि.जयपुर बनाम् वा. कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय,राजस्थान, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2017	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज,अध्यक्ष** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विनय कुमार माथुर एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। . अपीलार्थी की ओर से ये दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2017, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों में निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियॉ आरोपित की गई हैं, पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शस्तियों की वसूली पर रोक लगाते हुए कर एवं ब्याज पर रोक लगाने से इनकार किये जाने के कारण कर एवं ब्याज पर रोक लगाने का निवेदन किया गया है :–	

अ.सं.	कर	ब्याज	स्थगन हेतु आवेदित राशि
935/17	124793/–	79867/–	204660/–
936/17	186358/–	96906/–	283264/–

. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज की वसूली पर रोक लगाने के बिन्दु पर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के लिये किन्ही कारणों का आदेश में उल्लेख नहीं किया है । उनका कथन है कि निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही कर एवं ब्याज की मांग कायम कर दी है । विद्वान अपीलीय अधिकारी के इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना, रोक आवेदन पत्र पर आदेश पारित करते हुए कर एवं ब्याज पर रोक लगाने से इनकार किया है । अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, स्थगन हेतु आवेदित राशियों पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 के अनुसार मोबाईल चार्जर को एसेसरीज माना गया है, जिस पर सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से कर आरोपणीय है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन के स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने पर्याप्त राशि पर स्थगन स्वीकार किया जा चुका है। विभागीय प्रतिनिधि की ओर से उद्धृत निर्णय पर विचार करने के पश्चात प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना ही अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाते हैं।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष